सूचना का अधिकार / महत्वपूर्ण
संख्याः / 88 / xxxi (13)G/2010

प्रेषक,

राजीव चन्द्र
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 03 मार्च, 2010

विषयः— विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित पंजिकाओं का रख—रखाव।

महोदय,

सूचना आयोग द्वारा अपीलों के निस्तारण के समय यह प्रकट हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 146 दिनांक 22 मार्च, 2006 के अनुसार निर्धारित पंजिका में अनुरोधकर्ता के मूल प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, पंजीकरण आदि के विधिवत रख—रखाव का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

सुलभ सन्दर्भ के लिये सूचना आयोग द्वारा अपील संख्याः अ—2065 / 2009 श्री मुकेश कुमार बनाम् मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय हरिद्वार व अन्य में उपरोक्त निर्णय दिनांक 27.01.2010 के प्रस्तर 6 एवं 7 के उद्धरण संलग्न किये जा रहे हैं।

सूचना आयोग के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्याः / 88 / xxxi (13)G/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
अनुसचिव।